राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक :– प.5 (215+216) निपेवि/नियम/2015/पार्ट I 2092-2130 H दिनांक : 02.09.2016

कोषाधिकारी,................................

(समस्त) राजस्थान

विषय :– पारिवारिक पेंशन के भुगतान की बकाया की स्वीकृति जारी करने बाबत।

महोदय,

प्रायः पेंशन विभाग को ऐसे पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के बकाया के भुगतान की स्वीकृती हेतु प्रकरण भिजवाये जाते है जिनमें पेंशन अधिकृति में पारिवारिक पेंशन तो अधिकृत की हुई होती है लेकिन पेंशनर की मुत्यु के पश्चात् पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर्त्ता भुगतान प्राप्त करने हेतु कोष कार्यालयों / बैंक की औपचारिकताऐं पूर्ण करने हेतु समय पर उपस्थित नहीं होते, जिसके कारण लम्बे समय से भुगतान बकाया हो जाते है एवं पेंशन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ऐसें प्रकरणों में भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व कोषाधिकारी पारिवारिक पेंशन की बकाया , पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्रात्र व्यक्ति को देने के बाबत सुनिश्चितता आदि औपचारिकताये अपने स्तर पर पूर्ण करें तथा स्वत्व सन्तुष्टी के प्रमाण पत्र के साथ पारिवारिक पेंशन भुगतान न किये जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुऐ सम्बधित पैतृक विभाग से वर्णात्मक नामावली प्रमाणन सहित पारिवारिक पेंशन के भुगतान की स्वीकृति जारी करने की स्पष्ट अभिशंषा के साथ प्रकरणों को ऑन लाइन करना भी सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(के.के.गैडियोक)
निदेशक

C:\Users\khem\Desktop\JAIRAJ (2).docx- 84